



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर  
www.jda.urban.rajasthan.gov.in


क्रमांक: जविप्रा/उपा./जोन-7/2023/डी-1225

दिनांक 26/6/2023

प्रस्तावित भू- उपयोग उपान्तरण

राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू- उपयोग परिवर्तन नियम - 2010 व राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू- उपयोग परिवर्तन (संशोधन) नियम- 2021 के प्रावधानों के अन्तर्गत निम्न भूखण्डों के आवेदकों द्वारा अपनी सहमति का भू- उपयोग परिवर्तन करवाये जाने हेतु आवेदन किये गये हैं, जिनका विस्तृत विवरण जयपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाइट www.jda.urban.rajasthan.gov.in एवं जोन कार्यालय में देखा जा सकता है। इस संबंध में किसी व्यक्ति, संस्था आदि को कोई आपत्ति/सुझाव यदि हो तो 15 दिवस में मय दस्तावेज संबंधित उपायुक्त जोन कार्यालय अथवा सचिव, जविप्रा को प्रस्तुत करें।

| क्र. सं. | जोन | आवेदक का नाम   | भूखण्डधारी का नाम  | भूखण्ड संख्या              | पट्टा विलेख में वर्णित भू उपयोग | योजना का नाम (गृ.नि. सा.स./निजी खातेदारी योजना) | भूखण्ड क्षेत्रफल | मास्टर प्लान- 2025/ जोनल विकास योजना अनुसार भू उपयोग | उपयोग जिसके लिए आवेदन किया गया |
|----------|-----|--|--|----------------------------|---------------------------------|---|------------------|--|--------------------------------|
| 1        | 7   | श्री अजरुद्दीन एवं श्रीमती सबीना पुत्र/ पत्नी श्री यूसूफ पंवार | श्री अजरुद्दीन एवं श्रीमती सबीना पुत्र/ पत्नी श्री यूसूफ पंवार | पुर्नगठित भू.सं. 143, 143ए | आवासीय                          | आफिसर्स कैम्पस (संयुक्त गृ. नि.सा.स.)           | 400 वर्ग.        | आवासीय   | मिश्रित                        |

  
उपायुक्त जोन-7

जयपुर विकास प्राधिकरण,

उपायुक्त एवं प्राधिकृत अधिकारी  
जयपुर  
जोन-7, जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपि:-

1. निदेशक- नगर आयोजना, जविप्रा, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक- मा. प्लान, जविप्रा, जयपुर।
3. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त विज्ञापि के लघुरूप का निम्नानुसार दो दैनिक राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाकर समाचार पत्रों की प्रतियां इस कार्यालय को प्रेषित करें।

उपायुक्त जोन-7  
जयपुर विकास प्राधिकरण,  
जयपुर।



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

## यू.ओ.नोट

विषय:-विज्ञप्ति प्रकाशन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

| क्र. सं. | आवेदक का नाम  | मूल आवंटी का नाम  | मुखण्ड संख्या  | मुखण्ड क्षेत्रफल (व.ग.) | गृ.नि.स.स./ निजी खातेदारी योजना/ जविप्रा योजना | योजना का नाम       | सेवा, जिसके लिये आवेदन किया गया | कार्यवाही हेतु प्रस्तावेज    |
|----------|---|---|----------------|-------------------------|--|--------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 1.       | श्रीमती ममता देवी पत्नी श्री हरिनारायण जाट  | श्री महेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री देवी प्रसाद शर्मा  | 29             | 139.07 व.ग.             | भैरव गृ.नि.स.स.                                | महादेव नगर         | फ्री होल्ड पट्टा हेतु           | पंजीकृत विक्रय के आधार पर    |
| 2.       | श्री मुकेश कुमार देवतवाल पुत्र श्री केसर मल देवतवाल   | श्री केसर मल देवतवाल पुत्र श्री श्योनाथ रैगर  | 34             | 173.46 व.ग.             | मित्र गृ.नि.स.स.                               | उदय नगर            | फ्री होल्ड पट्टा हेतु           | हकत्याग के आधार पर           |
| 3.       | श्रीमती सीता देवी पत्नी श्री जयप्रकाश प्रजापत   | श्रीमती नच्छी देवी पत्नी श्री मोहनलाल   | 06             | 186.66 व.ग.             | मित्र गृ.नि.स.स.                               | भवानी शंकर कॉलोनी  | फ्री होल्ड पट्टा हेतु           | पंजीकृत विक्रय के आधार पर    |
| 4.       | श्रीमती सावित्री देवी पत्नी श्री रामजी लाल सैनी   | श्रीमती सुशीला देवी पत्नी श्री अशोक कुमार प्रजापति एवं श्री महेन्द्र गहलोत पुत्र श्री भागीरथ मल गहलोत | 1 व 2          | 248.50                  | मित्र गृ.नि.स.स.                               | राज विहार          | फ्री होल्ड पट्टा हेतु           | दस्तावेज गुम जाने के आधार पर |
| 5.       | श्री सोहन लाल शर्मा पुत्र श्री बाबूलाल शर्मा  | श्रीमती गोदावरी देवी पत्नी श्री कैलाश सैन   | 07 उत्तरी भाग  | 125.00 व.ग.             | जय अम्बे गृ.नि.स.स.                            | अपना आंगन          | फ्री होल्ड पट्टा हेतु           | पंजीकृत विक्रय के आधार पर    |
| 6.       | श्री रतन लाल शर्मा पुत्र श्री जगदीश प्रसाद शर्मा  | श्रीमती भूरी देवी पत्नी श्री मोहन लाल शर्मा   | 52 दक्षिणी भाग | 120 व.ग.                | खुदाबाडी सोनार गृ.नि.स.स.                      | भवानी नगर के ब्लॉक | फ्री होल्ड पट्टा हेतु           | वसीयत के आधार पर             |
| 7.       | श्री राजेश अग्रवाल पुत्र श्री मातादीन अग्रवाल एवं श्री महेश कुमार बडसरा पुत्र श्री महोदव प्रसाद | श्री सीताराम कुमावत पुत्र श्री गंगा रामजी   | ए-08           | 233.33 व.ग.             | अमृतपुरी गृ.नि.स.स.                            | शिव कॉलोनी         | फ्री होल्ड पट्टा हेतु           | पंजीकृत ईकरार के आधार पर     |

जन सम्पर्क अधिकारी

जविप्रा, जयपुर।

यू.ओ.नोट क्रमांक: जविप्रा/जोन-6/23/डी-

1909

दिनांक:- 20/6/23

उपायुक्त जोन-6  
जयपुर  
जयपुर विकास प्राधिकरण

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष-(+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एकसंदेशन: {सम्बंधित कार्यालय}: फैक्स- +91-141-2574555

ई-मेल : {सम्बंधित अधिकारी का ईमेल}



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपायुक्त जोन-1/2023/डी- 2280

दिनांक: 16/11/23

जनसम्पर्क अधिकारी  
जविप्रा

## आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

| क्र.सं. | आवेदक का नाम | भूखण्ड संख्या | गृ.नि.स.सं./निजी खातेदारी/जविप्रा की योजना | योजना का नाम  | सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया | कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज |
|---------|--------------|---------------|--|---------------|--------------------------------|----------------------------------|
| 1.      | श्री बाबूलाल | ई-73          | जविप्रा                                    | झालाना फेज-11 | नामहस्तान्तरण पत्र             | अपंजीकृत इकरारनामा               |

*es*

उपायुक्त जोन-1  
जविप्रा, जयपुर।

जयपुरविकासप्राधिकरण, जयपुर  
इन्दिरा सर्किल जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर  
प्रारूप 13  
[नियम 13(2) देखिए]

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा  
90-क (8) के अन्तर्गत

संख्या 1223

दिनांक 20/6/2023


लोकसूचना

अधोहस्ताक्षरी की जानकारी में यह लाया गया है कि निम्नवर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 31/12/2021 से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषक प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्तभूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है, कि आप की सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकरारनामा भूमि हस्तांतरित होने के कारण नवभारत गृ.नि.स.स.लि. की योजना त्रिवेणी नगर के सदस्यों द्वारा इसका अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में ले लिया गया है।

उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चातवर्ती हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क(8)के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90 "क", धारा 91 सपठित धारा 90ए (5) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार में पुर्नग्रहण योग्य है।

अतः कृपया नही आपकी खातेदारी की निम्नवर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 "क" धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं सपठित राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावसित कर राज्य सरकार के पक्ष में पुर्नग्रहित कर लिया जावे।

| ग्राम का नाम मय तहसील     | खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर) | स्वामित्व (नवीन जमाबन्दी अनुसार)  |
|---------------------------|------------|-----------------|---|
| नाँगल जैसा बोहरा तह.जयपुर | 309        | 0.8852          | 1. कृष्ण गोपाल पुत्र गोपी चन्द हिस्सा-1/12<br>2. किस्तुरी देवी पत्नि स्वं बँशीधर हिस्सा-1/84<br>3. नन्द किशोर पुत्र भौरीलाल हिस्सा-1/2<br>4. भौरी पत्नि गोपीचन्द हिस्सा-1/12<br>5. मधुदेवी पुत्री बँशीधर हिस्सा-1/84<br>6. मन्जू देवी पुत्री बँशीधर हिस्सा-1/84<br>7. रमेश चन्द्र पुत्र बँशीधर हिस्सा- 1/84<br>8. रामकृष्ण पुत्र बँशीधर हिस्सा-1/84<br>9. रामकिशोर पुत्र गोपीचन्द हिस्सा- 1/12<br>10. रामरतन पुत्र गोपीचन्द हिस्सा-1/12<br>11. रामशरण पुत्र गोपीचन्द हिस्सा-1/12<br>12. सन्तोष देवी पुत्री बँशीधर हिस्सा-1/84<br>13. सरोज देवी पुत्री बँशीधर हिस्सा-1/84<br>सर्वजाति- ब्राह्मण सा देह खातेदार |
| नाँगल जैसा बोहरा तह.जयपुर | 310/1      | 1.3026          | 1. अनीता पुत्री नाथुलाल हिस्सा- 1/15<br>2. चन्द्री पत्नि रामेश्वर हिस्सा- 1/3<br>3. बाबूलाल पुत्र नाथुलाल हिस्सा- 1/15<br>4. राधेश्याम पुत्र नाथुलाल हिस्सा- 1/15<br>5. सुनीता पुत्री नाथुलाल हिस्सा- 1/15<br>6. सीताराम पुत्र नाथुलाल हिस्सा- 1/15<br>7. हनुमान पुत्र रामेश्वर हिस्सा- 1/3<br>सर्वजाति- मीना सा देह खातेदार  |

  
उपायुक्त एवं प्राधिकृत अधिकारी  
जोन-7, जविप्रा, जयपुर

प्रशासन शहरो के संग अभियान के अन्तर्गत नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प17(1)नवि/अभियान/2021/म.म.जा जयपुर दिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 के क्रम में इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि में हित रखनेवाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष्य के विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस में कमरा नं. पी बी-एसएफ-218 डी, पार्किंग भवन, द्वितीय तल, जविप्रा में कार्यालय समय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय में आपत्तियां प्रस्तुत नहीं करने की दशा में आपके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावसित कर भूमि का पुर्नग्रहित किया जा सकेगा।

नोटिस आज दिनांक.....को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रांक से जारी किया गया।

sd  
प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त  
जोन-07 जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, ज.वि.प्रा., जयपुर को भेज कर लेख है कि उक्त आम सूचना का प्रकाशन राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशन करवा कर अद्योहस्ताक्षर कर्ता को भी अवगत करवाने का श्रम करावे।
2. तहसीलदार जयपुर

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त  
जोन-07 जविप्रा, जयपुर  
उपायुक्त एवं प्राधिकृत अधिकारी  
जोन-7, जविप्रा, जयपुर



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : LU2012/JJA/2023-24/102630

दिनांक : 20/06/2023

## लोक सूचना

न्यू पाथ डवलपर्स एलएलपी जरिये डेजीग्नेटेड पार्टनर श्रीमती सुमन धाकड़ पति श्री हिमांशु नागर कार्यालय पता 505, ओके प्लस टॉवर, के.वी. 5 के पारा, मानसरोवर, जयपुर ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अगिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात्:-

| क्र.सं. | ग्राम तहसील व जिले का नाम       | खातेदार   | खसरा सं. | क्षेत्रफल (हेक्ट.) में                  |
|---------|---------------------------------|---|----------|---|
| 1.      | ग्राम जयपुरियोकावास तहसील जयपुर | न्यू पाथ डवलपर्स एलएलपी 505, ओके प्लस टॉवर, के.वी. 5 के पारा, मानसरोवर, जयपुर | 236/223  | 0.2400 हेक्टयर में से<br>0.1200 हेक्टयर |

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अगिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अगिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एराएराओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDA) आईकॉन पर जाकर समर्थक दरतावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 20-06-2023 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी जोग-12  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

सुरमाध  
रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302 004  
91-141-2574798 : ईपीवीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटें: 8340 : फैक्स-91-141-2574555  
c-mail:

**कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-11**  
**जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर**

क्रमांक: LU2012/JDA/2023-24/102609

दिनांक: 20/06/2023

लोक सूचना

श्रीमती उषा अग्रवाल पत्नी राजकुमार अग्रवाल जाति महाजन 18, मेवा कुंज, भारतमाता पथ, जमनालाल बजाज मार्ग, जयपुर एवं श्रीमती बबीता अग्रवाल पत्नी विजय कुमार अग्रवाल जाति अग्रवाल महाजन 18, मेवा कुंज, भारतमाता पथ, जमनालाल बजाज मार्ग, जयपुर एवं श्रीमती विनिता अग्रवाल पत्नी श्री उमेश अग्रवाल 18, मेवा कुंज, भारतमाता पथ, जमनालाल बजाज मार्ग, जयपुर एवं जयपुर इन्फ्रासोल्यूशनस एलएलपी पंजीकृत कार्यालय सी-62, सरोजनी मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर एवं अजय गोयल पुत्र श्री महेश चन्द गोयल प्लाट नं. 82-ए, धूलेश्वर गार्डन, सरदार पटेल मार्ग, जयपुर एवं ऋषभ गोयल पुत्र श्री महेश चन्द गोयल प्लाट नं. 82-ए, धूलेश्वर गार्डन, सरदार पटेल मार्ग, जयपुर तथा विजय कुमार पुत्र श्री सांवरमल अग्रवाल जाति महाजन मेवा कुंज, भारतमाता पथ, जमनालाल बजाज मार्ग, जयपुर

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का वेयर हाऊस प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

| क्र. सं. | ग्राम तहसील व जिले का नाम | खातेदार का नाम  | खसरा सं.    | क्षेत्रफल (वर्गमीटर) | क्षेत्रफल (हेक्टे.) |
|----------|---------------------------|---|-------------|----------------------|---------------------|
| 1.       | कलवाडा, सांगानेर (जयपुर)  | श्रीमती उषा अग्रवाल पत्नी राजकुमार अग्रवाल जाति महाजन 18, मेवा कुंज, भारतमाता पथ, जमनालाल बजाज मार्ग, जयपुर             | 1901        | 1000                 | 0.10                |
|          |                           |   | 1902        | 3200                 | 0.32                |
|          |                           |   | 1906        | 4400                 | 0.44                |
|          |                           |   | 1909        | 5300                 | 0.53                |
|          |                           | श्रीमती बबीता अग्रवाल पत्नी विजय कुमार अग्रवाल जाति अग्रवाल महाजन 18, मेवा कुंज, भारतमाता पथ, जमनालाल बजाज मार्ग, जयपुर | 1907        | 2600                 | 0.26                |
|          |                           |   | 1911        | 3500                 | 0.35                |
|          |                           | श्रीमती विनिता अग्रवाल पत्नी श्री उमेश अग्रवाल 18, मेवा कुंज, भारतमाता पथ, जमनालाल बजाज मार्ग, जयपुर                    | 1884        | 2100                 | 0.21                |
|          |                           |   | 1908        | 3200                 | 0.32                |
|          |                           |   | 1910        | 2200                 | 0.22                |
|          |                           |   | 1919        | 3500                 | 0.35                |
|          |                           |   | 1920        | 1800                 | 0.18                |
|          |                           | जयपुर इन्फ्रासोल्यूशनस एलएलपी पंजीकृत कार्यालय सी-62, सरोजनी मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर                                     | 3056 / 1925 | 945                  | 0.0945              |
|          |                           |   | 1903        | 2000                 | 0.20                |
|          |                           |   | 3057 / 1924 | 785                  | 0.0785              |
|          |                           |   | 1921        | 2400                 | 0.24                |
| 1922     | 2000                      |   | 0.20        |                      |                     |




कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-11  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

|     |   |             |       |        |
|-----|---|-------------|-------|--------|
|     |   | 1913        | 1500  | 0.15   |
|     |   | 1914        | 5400  | 0.54   |
|     | अजय गोयल पुत्र श्री महेश चन्द गोयल प्लाट नं. 82-ए, धूलेश्वर गार्डन, सरदार पटेल मार्ग, जयपुर       | 1885        | 900   | 0.09   |
|     |   | 3027 / 1886 | 1525  | 0.1525 |
|     |   | 3029 / 1904 | 1618  | 0.1618 |
|     | ऋषभ गोयल पुत्र श्री महेश चन्द गोयल प्लाट नं. 82-ए, धूलेश्वर गार्डन, सरदार पटेल मार्ग, जयपुर       | 3028 / 1886 | 2875  | 0.2875 |
|     |   | 3030 / 1904 | 3382  | 0.3382 |
|     |   | 1966        | 2100  | 0.21   |
|     |   | 1918        | 1700  | 0.17   |
|     |   | 1916        | 1900  | 0.19   |
|     |   | 1917        | 1800  | 0.13   |
|     |   | 1912        | 2500  | 0.25   |
|     | विजय कुमार पुत्र श्री सांवरमल अग्रवाल जाति महाजन मेवा कुज, भारतमाता पथ, जमनालाल बजाज मार्ग, जयपुर | 1905        | 14700 | 1.47   |
|     |   | 1883        | 5000  | 0.50   |
| कुल |   |             |       | 8.7830 |

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वावक्त प्रयाजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एराएसओ आईडी से जॉन इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 20-06-2023 को जारी की गयी।

  
प्राधिकृत अधिकारी (जोन-11)  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर